भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 972
दिनांक 08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डेंगू के मामले

972. श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान डेंगू के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इसके कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या सरकार को हाल के महीनों में देश के कुछ भागों में डेंगू के मामलों में वृद्धि होने की जानकारी है और यदि हां, तो 'तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में डेंगू वायरस के प्रसार के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम, लोगों की भागीदारी और उपग्रह इमेजिंग और ड्रोन सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में डेंगू और चिकुनगुनिया रोगों की रोकथाम/उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित डेंगू के मामलों और डेंगू के कारण जान गंवाने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) जनवरी से जुलाई के महीनों के दौरान सूचित डेंगू के मामलों की संख्या प्रतिवर्ष कम रहती है, जबकि अगस्त से दिसम्बर के महीनों के दौरान अधिकतम मामलों की सूचना प्राप्त होती है, जैसा कि निम्न से स्पष्ट होता है -

वर्ष	2022			2023		
महीने	जनवरी से जुलाई	अगस्त से दिसंबर	जनवरी से दिसंबर तक कुल मामले	जनवरी से जुलाई	अगस्त से नवंबर	(दिनांक 30 नवंबर तक कुल मामले)
डेंगू के मामलों की संख्या	24129	209122	233251	31479	202948	234427

कई राज्यों में डेंगू का प्रसार वर्ष भर होता है। तथापि, वेक्टर प्रजनन स्थलों की प्रचुरता के कारण मानसून के दौरान मामले बढ़ जाते हैं और मानसून के बाद के मौसम तक जारी रहते हैं। डेंगू के प्रसार के लिए वर्षा, आर्द्रता और तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वर्तमान वर्ष में, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अल नीनो प्रभाव और असमान वर्षा के कारण, वेक्टर घनत्व में वृद्धि के कारण देश भर में सूचित डेंगू के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)अपने अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों और सार्वजनिक व्याख्यानों, लाइव प्रदर्शनों, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से जनता के बीच प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों के रूप में जागरूकता पैदा करने पर कार्य कर रही है।

आईसीएमआर क्षेत्रों के जोखिम मानचित्रण और योजना संबंधी क्रियाकलापों के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है। मामलों और वेक्टर सूचकांकों की घटना का उपयोग करके सुभेद्य जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

आईसीएमआर ने नियंत्रण कार्यक्रम की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए वेक्टर जनित रोगों (वीबीडी) में ड्रोन का उपयोग करने, प्रजनन स्थलों, लार्वा पाजिविटी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए संभावित क्रियाकलापों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) का प्रयोग करने जैसी भावी प्रौद्यौगिकियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

(घ) अंतर-क्षेत्रीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में डेंगू की रोकथाम के लिए एक कार्यनीतिक ढांचा और रोडमैप विकसित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों (जल शक्ति और ग्रामीण विकास), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राज्य सरकार के अधिकारियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और नगर निगमों को शामिल करते हुए दिनांक 22-23 मार्च, 2023 को एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

भारत सरकार ने देश में डेंगू और चिकुनगुनिया रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित पहलें

की हैं -

- रोकथाम और नियंत्रण, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, मामला प्रबंधन और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए तकनीकी दिशानिर्देश कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रसारित किए गए हैं।
- समय पर कार्रवाई और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उच्चतम स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई है।
- भविष्य में किसी भी प्रकोप से निपटने की तैयारी के लिए राज्यों को सचेत करने के लिए एडवाईजरीज जारी की गई है।
- नैदानिक प्रबंधन में लगे डॉक्टरों और एकीकृत वेक्टर प्रबंधन में लगे कीटविज्ञानियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों को लागू करने और आगे प्रसार को रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में मामलों का पता लगाने के लिए देश भर में 805 सेटींनियल निगरानी अस्पतालों और 17 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से निशुल्क नैदानिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- चिन्हित प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे के माध्यम से परीक्षण किट प्रदान किए जाते हैं जिसकी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- राष्ट्रीय डेंगू दिवस दिनांक 16 मई को मानसून पूर्व क्रियाकलाप शुरू करने के लिए मनाया जाता है और जुलाई में डेंगू रोधी महीना मनाया जाता है ताकिअपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को मच्छरों के प्रजनन से मुक्त रखने के संबंध में सामुदायिक जागरूकता पैदा की जा सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डेंगू नियंत्रण कार्यकलापों अर्थात् डेंगू मामला प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण कार्यकलापों (घरेलू प्रजनन परीक्षकों, कीटनाशक, फॉगिंग मशीनों आदि का प्रावधान), प्रशिक्षण संबंधी सहयोग, जागरूकता कार्यकलापों आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डेंगू के मामलों और डेंगू के कारण हुई मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम. सं.	**राज्य**	**2020**		**2021**		**2022**		**2023** (30नवंबर तक)	
		मामले	मौते	मामले	मौते	मामले	मौते	मामले	मौते
1	आंध्र प्रदेश	925	0	4760	0	6391	0	5936	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	7	0	114	0	114	0
3	असम	33	0	103	0	1826	2	8058	7
4	बिहार	493	2	633	2	13972	32	19672	74
5	छत्तीसगढ़	57	0	1086	0	2679	10	1930	0
6	गोवा	376	0	649	0	443	1	474	0
7	गुजरात	1564	2	10983	14	6682	7	6710	6
8	हरियाणा	1377	0	11835	13	8996	18	7826	4
9	हिमाचल प्रदेश	21	0	349	0	3326	1	1975	0
10	झारखंड	79	0	220	1	290	0	2300	12
11	कर्नाटक	3823	0	7393	7	9889	9	14227	9
12	केरल	4399	5	3251	27	4432	29	14189	51
13	मध्य प्रदेश	806	0	15592	11	3318	2	6397	0
14	मेघालय	4	0	129	0	26	0	107	0
15	महाराष्ट्र	3356	10	12720	42	8578	27	17531	14
16	मणिपुर	37	0	203	0	503	4	2496	0
17	मिजोरम	67	0	83	0	1868	5	1903	2
18	नागालैंड	1	0	24	0	154	0	4596	2
19	ओडिशा	496	0	7548	0	7063	0	12540	0
20	पंजाब	8435	22	23389	55	11030	41	12874	13
21	राजस्थान	2023	7	20749	96	13491	10	13245	6
22	सिक्किम	11	0	243	1	264	0	288	0
23	तमिलनाडु	2410	0	6039	8	6430	8	7133	10
24	त्रिपुरा	24	0	349	0	56	0	1277	0
25	तेलंगाना	2173	0	7135	0	8972	0	7894	1
26	उत्तर प्रदेश	3715	6	29750	29	19821	33	33075	28
27	उत्तराखंड	76	1	738	2	2337	0	4319	17
28	पश्चिम बंगाल	5166	10	8264	7	67271	30	एन आर	एन आर
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98	0	175	0	1014	3	844	0
30	चंडीगढ़	265	0	1596	3	910	1	412	0
31	दिल्ली	1269	0	13089	23	10183	9	14060	7
32	दादरा और नागर हवेली	248	0	547	0	685	0	1096	0
	दमन और दीव	71	0	279	0	228	0	277	1
33	जम्मू और कश्मीर	53	0	1709	4	8269	18	6049	8
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	1	0	67	0	361	0
36	पुडुचेरी	633	1	1625	1	1673	3	2242	2
कुल		**44585**	**66**	**193245**	**346**	**233251**	**303**	**234427**	**274**

एन आर= रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।